

2238  
14/12/2020

रिपोर्ट पटवारी हलमा/आपुएल0आरो  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जारी की गई। जिसके अनुसार

श्रीमान श्री हरिप्रताप जमाबन्दी क्रमांक 2075-78 कारा संख्या 47, 92, 93, 109 के अन्तर्गत  
54, 48, 24, 3 पट हेमराज पु. शोपाल (किरादार) अर्थात् कारेदार के परचाग  
विरुद्ध के कारा हेमराज पु. शोपाल के किरादार के अन्तर्गत कारा दुबल किरादार उचित है।  
कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी  
दिनांक :- 14/12/20

क्रमांक : राजस्व/2020/

बूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अधिसूचना की जाती है।

उक्त किरादार उचित है

14/12/20  
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला मुंडवू (राज.)  
:- आदेश :-

दिनांक :- 14/12/20

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 130 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	हरिप्रताप	2075-78	47 92 93 109	हेमराज पु. शोपाल	हेमराज पु. शोपाल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 14/12/20



क्रमांक :- राजस्व/2020/ 2240

- प्रतिलिपि -
1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्तु पालनाथ।
  2. प्राथी/प्राथीया को सूचनाथ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी